संख्याः 2273 / VIII / 577–प्रशि0 टीसी / 2003

प्रेषक,

श्री दयाल सिंह नाथ,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी ।

श्रम सेवायोजन प्रशिक्षण विज्ञान एवं प्रौधोगिकी अनुभाग देहरादून दिनांकः 18 / दिसम्बर–2004

विषयः स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु आयोजनागत पक्ष में मानक मद संख्याः 24 बृहत्त निर्माण कार्य के तहत् राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार के छात्रावास तथा कार्यशाला के भवन निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः डी0टी0ई0यू0 / 0202 / एन0पी0वी0 / 2004 / 5717, दिनांकः 27,अक्टूबर–2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय औधोगिक प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार के छात्रावास एवं कार्यशाला के निर्माण हेतु प्रस्तुत आगणन रूपये 79.10 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत रूपये 76.56 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके सापेक्ष रूपये 27.41 लाख पूर्व में ही शासनादेश संख्या : 382 / श्रम सेवा / 577–प्रशि0टीसी / 2004 दिनांक 16,फरवरी–2004 द्वारा अवमुक्त किए जा चुके हैं, शेष धनराशि रूपये 49.15 लाख (रूपये उन्नपचास लाख पन्द्रह हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ आपके निवर्तन पर स्वीकृत की जा रही है, कि प्रश्नगत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष 2004–05 में करने का कष्ट करें, यदि तिथि के उपरान्त कोई धनराशि शेष बचती है, तो उसका नियमानुसार शासन को समर्पण कर दिया जायेगा। उक्त धनराशि के उपभोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र, कार्य की भौतिक प्रगति सहित शासन को उपलब्ध कराये जाये। यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नही देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो का अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

3– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित निर्माण एजेंसी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

4– कार्य करते समय टैण्डर आदि विषयक विषयों का भी अनुपालन किया जायेगा।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31,मार्च–2005 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एव उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा, और भवन भी हस्तगत करा दिया जायेगा ।

6– कार्य करने के पूर्व यदि किसी तकनीकी अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो तो वो प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

7– व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है ।

8– कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि विलम्ब या अन्य कारणों से इसकी लागत में बढ़ोत्तरी होती है तो उसके लिए कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी,का पूर्ण रूप से अनुपालन कराया जाय।

9– कार्य करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

9. शासनादेश संख्या : 382/श्रम सेवा/577–प्रशि0टीसी/2004 दिनांक 16,फरवरी–2004 के बिन्दु संख्या–8 में अंकित टीएसी की शर्तो का पूर्णत: पालन किया जायेगा ।

10– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 हेतु अनुदान संख्या–16 मुख्यलेखाशीर्षक –2230,श्रम तथा रोजगार 03–प्रशिक्षण, आयोजनागत, 003– दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण, 01–दिनेशपुर, काण्डा, टनकपुर, रूद्रप्रयाग आदि आईटीआई में नए व्यवसाय खोला जाना, 24–बृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

11– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: यू0ओ0: 1987/वि0अनु0–3/2004,दिनांक 13,दिसम्बर–2004 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं। भवदीय

(दयाल सिंह नाथ)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 2273/ VIII/ 577–प्रशिटीसी/ 2003, तद्दिनांक :–
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून
2– कोषाधिकारी, हरिद्वार
3– निजी सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री।
4– प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हरिद्वार ।
5– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त बजट।
6– नोडल अधिकारी, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम,मोहनी रोड देहरादून
7– वित्त अनुभाग–3
8. नियोजन–विभाग, उत्तरांचल शासन/एन0आई0सी0 सचिवालय।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Rchauhan
(आर0के चौहान)
अनुसचिव।